



पत्रांक: 613/वि०वि०म०/गा०बाद/

दिनांक : 03/06/2023

विषय :- विज्ञापन आदेश।

विज्ञापन व्यवस्थापक,
पंजाब केसरी,
दिल्ली संस्करण।

विज्ञापन व्यवस्थापक
वीर अर्जुन,
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 04.06.2023 के अंक में कम से कम स्थान में हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिये 8-10 प्वाइन्ट टाइप में केवल एक कॉलम में समाचार पत्र के रनिंग मेटर में प्रकाशित करें। हैंडिंग के नीचे का नाम व पता यथासंभव एक ही लाइन में रनिंग मेटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० को B/W पट्टी तथा बोल्ड शब्दों में फोन्ट साइज-14 में तथा लोगो 1 Sq.cm में प्रकाशित किया जाये।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचनायें जैसे बिजली बन्द रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगाने की सूचना, बिजली बिलों के संबंध में सूचना आदि का प्रकाशन यथासंभव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर कराने की व्यवस्था करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्त रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियाँ संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान संभव नहीं होगा।
3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही किया जाये। हिन्दी समाचार पत्र के लिये संलग्न अंग्रेजी भाषा की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिये समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा संबंधित बीक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन दृष्ट्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विज्ञापन दरें स्वीकार न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
6. विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में "राष्ट्रहित में बिजली बचायें" का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।
7. उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में निगम द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

1. विज्ञापन आदेश की प्रथम एवं द्वितीय प्रति
2. विज्ञापन सामग्री।

भवदीय

अधीक्षक अभियन्ता
वि०वि०म० गा०बाद
अधीक्षक अभियन्ता

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत वितरण मण्डल
गाजियाबाद।

पत्रांक : /वि०वि०म०/गाजियाबाद/विज्ञापन/तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता (वि०) गाजियाबाद क्षेत्र, निकट 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र राजनगर, गाजियाबाद।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क मेरठ।
4. नोटिस बोर्ड

अधीक्षक अभियन्ता
वि०वि०म० गा०बाद।



पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या:-15/2023-24/EDC/GZB - विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद के अधीन विद्युत वितरण खण्ड-मोदीनगर टाउन के साथ-साथ आर०ए०पी०डी०आर०पी० क्षेत्रों में 25 के०वी०ए० से 1000 के०वी०ए क्षमता के परिवर्तकों के जले/क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में स्टोर सेन्टर तक पहुँचाने एवं स्टोर सेन्टर से वापस लाने का कार्य एम०एण्डआर० मद में किया जाना। निविदा धरोहर धनराशि:-5000.00

ई-निविदा संख्या:-16/2023-24/EDC/GZB - विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद के अधीन विद्युत वितरण खण्ड-मुरादनगर टाउन के साथ-साथ आर०ए०पी०डी०आर०पी० क्षेत्रों में 25 के०वी०ए० से 1000 के०वी०ए क्षमता के परिवर्तकों के जले/क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में स्टोर सेन्टर तक पहुँचाने एवं स्टोर सेन्टर से वापस लाने का कार्य एम०एण्डआर० मद में किया जाना। निविदा धरोहर धनराशि:-5000.00

उपरोक्त ई-निविदा को <https://etender.up.nic.in> पर दिनांक 19.06.2023 को 12:00 बजे तक भरा जा सकता है तथा 19.06.2023 को 16:00 बजे एवं उसके पश्चात खोला जायेगा। अघोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताये समस्त अथवा किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। निविदा में यदि कोई संशोधन अथवा निविदा खुलने की तिथि में विस्तार होता है तो इसकी सूचना केवल <https://etender.up.nic.in> एवं निगम की वेबसाइट www.pvvnl.org तथा डाली जायेगी। अन्य किसी जानकारी के लिए उपरोक्त वेबसाइट को नियमित देखें।

अधीक्षण अभियन्ता, वि०म०, गा०बाद।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०

विद्युत वितरण मण्डल

गाजियाबाद

‘राष्ट्र हित मे बिजली बचाये’